विधानसभा में बच्चे

विकास संवाद

किताब का नाम

विधानसभा में बच्चे

शोध एवं लेखन – अमिताभ पाण्डेय

प्रकाशक – विकास संवाद
ई–7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने
अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश
फोन : 0755 - 4252789
ई–मेल : vikassamvad@gmail.com

वर्ष – 2015

प्रतियां – 500

सहयोग राशि – ₹ 50

सहयोग – चाइल्ड राइट्स एण्ड यू

डिजाइन – अमित सक्सेना

मुद्रक – बी.के. ट्रेडर्स
जी–140, श्वेता कॉम्पलेक्स, ई–8, शाहपुरा, भोपाल
मोबाइल : 9926553438

कोई समाज अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है
इससे ज्यादा उस समाज की आत्मा को जानने-समझने
का कोई और ताकतवर तरीका नहीं हो सकता।

नेल्सन मंडेला

विधानसभा में बच्चे

अध्याय	पेज नंबर
• बड़ों की राजनीति में हाशिये पर बच्चे – अमिताभ पाण्डेय	1
• प्रस्तावना	2
• प्रश्न पूछने की प्रक्रिया	3
• उद्देश्य	4
• तेरहवीं विधानसभा एक परिचय	6
• महत्वपूर्ण जानकारियां	7
• माननीय विधायकों से संबंधित जानकारी	8
• शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, बहिर्गमन की जानकारी	9
• अध्ययन–विधि	11
• बच्चों के मुद्दों का वर्गीकरण	12
• तेरहवीं विधानसभा के सत्रह सत्रों का विवरण	13
• प्रत्येक सत्रवार प्रश्नोत्तर के उदाहरण	15
• निष्कर्ष	26
• महिला एवं बाल विकास विभाग की समितियों के प्रतिवेदनों का बच्चों के मुद्दों पर अध्ययन	29
• विश्लेषण	30
• जवाब से बचने की भाषा	32
• माननीय विधायकों से सवाल	34
• माननीय विधायकों के जवाब	35
• सुझाव	37

आभार

- विधानसभा पुस्तकालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, माननीय विधायकगण
- सर्वश्री शुभेन्दु भट्टाचार्य, जया सिंह, सचिन कुमार जैन, सौमित्र रॉय, राकेश दीवान, चिन्मय मिश्र, रोली शिवहरे एवं विकास संवाद परिवार
- सम्पादकीय समन्वय : राकेश मालवीय
- विशेष सांख्यिकीय सहयोग : अरविन्द मिश्रा

बड़ों की राजनीति में हाशिये पर बच्चे

राजनीति का पूरा ताना-बाना मतदाताओं के आसपास ही घूमता है। जो मतदाता है, वोट देने का अधिकार रखता है उसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, ऐसा नियम है। यही कारण है कि राजनीति से जुड़े लोग सारी बात, सारे प्रयास, तमाम आश्वासन, बड़े-बड़े वादे उस मतदाता के लिए करते हैं जिसका मत वे किसी भी प्रकार अपने पक्ष में करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों से लेकर लोकसभा, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लोक लुभावन भाषण, नारों में कहीं भी उनका जिक्र नहीं होता जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। जो मतदाता नहीं है। बात चाहे चुनाव के पहले की हो या बाद की, राजनीति के गलियारों से लेकर लोकसभा, विधानसभा तक में बच्चों का बच्चों के मुद्दों का उल्लेख कम ही होता है। जनप्रतिनिधियों की चिंता अपने वोट बैंक के इर्द-गिर्द ही सिमटकर रह जाया करती है। ऐसे में जो उनके मतदाता नहीं है उनकी उपेक्षा होती है। समाज का यह उपेक्षित वर्ग बच्चों का है जो कि राजनीति के एजेंडे में हाशिये पर है। शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में बच्चे समाज में असुरक्षित वातावरण, विपरीत परिस्थितियों के बीच जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के दौरान रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। जिंदा रहने के लिए बच्चों की कई बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं, और संघर्ष करते हुए कई बार जीवन से हार जाते हैं। कई बार बच्चों को बाल श्रम, अन्याय, शोषण की पीड़ा भोगनी पड़ती है, लगातार उपेक्षा, अन्याय के चलते कई बार वे गलत राह पकड़ लेते हैं। चूंकि किसी बच्चे से किसी नेता को, किसी राजनीतिक दल को वोट नहीं लेना है इसलिये बच्चों की फिक्र ज्यादा नहीं होती। जनप्रतिनिधि बच्चों के हितों को लेकर सड़क से सदन तक कहीं भी अधिक सक्रिय नजर नहीं आते।

हम सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि बच्चे मतदाता न होने का सर्वाधिक नुकसान उठा रहे हैं। उनका बचपन अच्छे हालात में बीते, इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि राजनीति, सरकार और समाज ने बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। यदि बच्चे की किस्मत अच्छी हुई तो वह सुखी, समृद्ध परिवार में जन्म लेकर मौज-मस्ती के साथ पलेगा, बढ़ेगा। नहीं तो उपेक्षा और अभाव का दर्द उसी समुदाय के बच्चे ज्यादा झेलते हैं जो उपेक्षित हैं। ऐसे बच्चे और उनकी समस्याएं समाधान के बजाय उपेक्षा के चक्र में घिरकर रह जाती हैं। हम राजनीति के गलियारों में बच्चों की उपेक्षा को लेकर ज्यादा से ज्यादा सवाल खड़े करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वंचित, उपेक्षित, साधनहीन बच्चों के हितों को लेकर लोकसभा, विधानसभा में ज्यादा चर्चा, चिंता हो। हर बच्चे के लिए बेहतर बचपन की गारंटी सरकार, समाज की ओर से मिले। इसके लिए जनप्रतिनिधि भी अधिक गंभीर, संवेदनशील और सक्रिय हों। बच्चे चिंतामुक्त, स्वस्थ, सुरक्षित वातावरण में पले, पढ़ें, बढ़ें। यह पुस्तक इसी भावना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है।

''अंदाज-ए-बयाँ मेरा बहुत खूब नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात''

- अमिताभ पाण्डेय

प्रस्तावना

संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्र का मूल आधार है। इसके माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन में जनता से जुड़े विविध विषयों पर अपनी बात रखते हैं। सदन के माध्यम से शासन व्यवस्था की निगरानी और उसे जिम्मेदार बनाए रखने की प्रक्रिया को मजबूती मिलती है। सदन में जनता के मुद्दों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामने लाया जाता है और उन पर सरकार से कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केन्द्रीय मंत्री मण्डल लोकसभा के प्रति जवाबदेह है तो अनुच्छेद 164(2) के तहत् राज्य मंत्री मण्डल संबंधित राज्य की विधानसभा के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। लोकसभा- राज्यसभा अथवा विधानसभा- विधान परिषद में माननीय सांसद, माननीय विधायक जो भी मुद्दे सवाल-जवाब, शून्यकाल, स्थगन, ध्यान आकर्षण आदि के माध्यम से उठाते हैं वे सीधे देश-प्रदेश के लोगों से जुड़े होते हैं। चूंकि सदन की कार्यवाही में जनता को सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, इसलिए लोग अपनी समस्या अपने सुझाव माननीय सांसद, माननीय विधायक के माध्यम से सदन तक पहुंचाते हैं। सदन उन सभी समस्या, सुझाव के बारे में विचार कर निर्णय देता है, नीति-नियम बनाता है। इनका क्रियान्वयन शासन विभिन्न विभागों के माध्यम से करवाता है।

यदि नीति-नियमों, निर्णय के क्रियान्वयन में शासन के विभिन्न विभागों में कहीं लापरवाही, उदासीनता, भ्रष्टाचार प्रतीत होता है तो उसके बारे में भी माननीय जनप्रतिनिधि सदन में सवाल उठाते हैं और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि शासन व्यवस्था में अव्यवस्था, लापरवाही, उदासीनता, अनियमितता का व्यवहार करने वाले दण्डित हों। इसके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की मंशा रहती है। सदन में पूछे गए हर प्रश्न ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, स्थगन अथवा लोक महत्व से जुड़े महत्वपूर्ण विषय, घटनाक्रम पर जवाब देने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के मंत्री की होती है। मंत्री ही इसके प्रति जवाबदेह होता है। विभागीय लापरवाही, उदासीनता, अनियमितता होने, नीति नियम, निर्णयों का बेहतर क्रियान्वयन नहीं होने के कारण कई बार सदन में मंत्री विपक्षी सदस्यों के निशाने पर रहते हैं। विपक्ष के आरोपों से घिरे मंत्री कई बार इस्तीफा देने पर मजबूर होते देखे गए हैं। अनियमितता, लापरवाही के गंभीर मामलों में विपक्ष के निशाने पर घिरी सरकार के मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की जाती है। बड़े घोटालों के उजागर हो जाने के बाद आरोपियों के विरुद्ध तत्काल प्रभावशाली कार्यवाही नहीं करने से विपक्ष सदन के नेता (जो कि मुख्यमंत्री होते हैं), उनको एवं उनके साथ पूरे मंत्री मण्डल को कटघरे में खड़ा कर देता है, अपने निशाने पर ले लेता है। यदि विपक्ष के तीखे आरोप लगातार चलें और विपक्ष बड़ा आंदोलन सड़क से सदन तक खड़ा करने में सफल हो तो मुख्यमंत्री के साथ समूचे मंत्रीमंडल को त्यागपत्र देने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे घटनाक्रम मध्यप्रदेश के संसदीय इतिहास में भी देखे गए हैं।

❖❖❖

प्रश्न पूछने की प्रक्रिया

यहां यह बताना जरूरी होगा कि मध्यप्रदेश में शासन के लगभग 57 विभाग हैं जिनको माननीय विधायकों की सुविधा के लिए पांच अलग-अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। एक वर्ग में एक वर्ग के विभागों से जुड़े दो तारांकित और दो अतारांकित प्रश्न विधायक को पूछने का अधिकार रहता है और अलग-अलग विभागों के अनुसार प्रश्न पूछने और उसका उत्तर सदन में देने के लिए तिथि निर्धारित की जाती है, जो विधायक प्रश्न पूछना चाहते हैं उनको उत्तर देने की निर्धारित तिथि से लगभग एक माह पूर्व अपना प्रश्न निर्धारित प्रपत्र में भर कर विधानसभा में जमा करवाना होता है। प्रश्न जिस विभाग से संबंधित होता है, उस विभाग को विधानसभा द्वारा भेज कर उसका जवाब 21 दिन में मंगवाया जाता है।

जब सदन का सत्र बुलाया जाता है तो उसकी अधिसूचना माननीय राज्यपाल जारी करते हैं। प्राय: एक वर्ष में तीन बार विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है। यह सत्र जुलाई, नवम्बर और मार्च माह के दौरान आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में प्रश्नोत्तर होते हैं। विधानसभा के सत्र की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नोत्तर काल से ही होती है और विधायक जो लिखित प्रश्न पूछते हैं उनके जवाब उन्हें लिखित में दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों पर विधायक सदन में संबंधित विभाग के मंत्री से अपने लिखित प्रश्न के संदर्भ में अन्य पूरक प्रश्न भी कर सकते हैं जिनका जवाब सम्बंधित मंत्री द्वारा दिया जाता है। विधायकों को प्रश्नों के उत्तर प्रति दिन एक प्रश्नोत्तरी के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें तारांकित, अतारांकित एवं परिवर्तित तारांकित प्रश्नों को मिलाकर लगभग 200 से 300 तक प्रश्नोत्तर होते हैं जिसमें 25 प्रश्न ही तारांकित होते हैं। तारांकित प्रश्नों से आशय ऐसे प्रश्नों से है जिन पर सदन में चर्चा होती है और इन प्रश्नों से जुड़े कुछ और भी प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन परिवर्तित तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा नहीं होती, उनके उत्तर लिखित में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विधायकों को दिए जाते हैं। अन्य सत्रों के तुलना में सबसे लम्बी अवधि बजट सत्र की होती है जो कि लगभग दो माह का होता है। इसमें सरकार वार्षिक आय-व्यय का विवरण, आगामी वर्ष के लिए बजट, विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती है जिन पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के विधायक चर्चा करते हैं। चर्चा के उपरांत बजट को राज्य विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है।

❖❖❖

उद्देश्य

बच्चों के मुद्दे सदन में बढ़ें

मनुष्य अपने जीवन का सफर बचपन, जवानी और बुढ़ापे के बीच तय करता है। बचपन जिंदगी की शुरूआत का पहला हिस्सा है जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक लोगों को याद रहता है। बचपन की यादें, पचपन पार हो जाने के बाद भी बरसों-बरस लोगों को खुशनुमा अहसास कराया करती हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए बचपन ऐसा स्वर्णिम धन होता है, जिसको वह मरते दम तक अपनी स्मृतियों में जमाए रखता है। बचपन की सुनहरी यादों का जिक्र करते हुए, बचपन की किस्सागोई का बयान करते हुए किसी बुजुर्ग के चेहरे पर बच्चे सी उमंग को बखूबी महसूस किया जा सकता है।

बच्चे हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारतीय संविधान ने बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित वातावरण में, पलने-बढ़ने के लिए अनेक नीति, नियम, कानून बनाए हैं। बच्चों की चिंता सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे जनप्रतिनिधि भी बच्चों की बेहतरी को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। इसके बावजूद यह कहना जरूरी है कि राजनीति के गलियारों में, लोकसभा- राज्यसभा से विधानसभा-विधान परिषद तक, सड़क से सदन तक बच्चों के बारे में जितना ज्यादा चिंतन होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। बेहतर बचपन के लिए बच्चों से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा सवाल-जवाब, ज्यादा बहस की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि फिलहाल हमारे माननीय जनप्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में बच्चों से जुड़े मुद्दों पर कितनी चर्चा कर रहे हैं? सदन की कार्यवाही के कुल समय में से बच्चों के हिस्से में, बच्चों की बातों की हिस्से में, बच्चों की मुद्दे के बारे में कितना समय खर्च होता है? यदि सदन में बच्चों से जुड़े सवाल-जवाब का विश्लेषण किया जाए तो इससे यह पता चल सकेगा कि बच्चों के हक-अधिकार, उनकी सुरक्षा, समस्या, समाधान को लेकर हमारे जनप्रतिनिधि कितने चिंतित हैं?

हमारा उद्देश्य यह जानना है कि मध्यप्रदेश विधानसभा में बच्चों से जुड़े मुद्दों को कितनी प्रमुखता मिलती है? बच्चों के मामले सदन में कितनी बार चर्चा, बहस का विषय बनते हैं? उनसे जुड़े कैसे-कैसे सवाल और जवाब आते हैं? सवाल-जवाब, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण, स्थगन, बहिर्गमन आदि के माध्यम से सदन में माननीय विधायकों द्वारा बच्चों के जो मुद्दे उठाये जाते हैं, उन पर क्या कार्यवाई होती है? बच्चों की समस्याओं का स्थाई समाधान हो पाता है या नहीं? वे कौन-कौन माननीय विधायक है जो बच्चों के मुद्दों पर सदन में अधिक संवेदनशील, सक्रिय नजर आते हैं? बच्चों से जुड़े मामले को बार-बार सदन में उठाते हैं।

मध्यप्रदेश में तेरहवीं विधानसभा के पांच वर्षीय कार्यकाल के दौरान बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को जानने, समझने का प्रयास हमने इस पुस्तक के माध्यम से किया है।

यह पुस्तक मध्यप्रदेश विधानसभा में बच्चों से जुड़े विभिन्न प्रकार के मुद्दों की ओर पाठकों का ध्यान

आकर्षित करेगी। इस तथ्य की ओर भी संकेत करेगी कि जनभावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले, सदन में बच्चों की पैरवी करने वाले माननीय जनप्रतिनिधि कौन–कौन हैं? सरकार बच्चों के लिए क्या–क्या कर रही है? इस राज्य में बच्चों से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों, बजट आदि का कैसा और कहां उपयोग हो रहा है? इससे शासन द्वारा बच्चों के लिए चलाए जा रहे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति, उसमें आ रही बाधाओं, अनियमिताओं की भी जानकारी हमें मिल सकती है। मोटे तौर पर हम बच्चों के बारे में सदन में क्या चल रहा है? इसे लेकर एक नजरिया बना सकते हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों के बारे में भी प्रारंभिक रूप से ऐसा दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं जो यह जाहिर करता है कि उनकी बच्चों के मुद्दों की प्रति कितनी गंभीरता है।

यह पुस्तक इस भावना के साथ आप तक पहुंचाई जा रही है कि सदन में बच्चों के मुद्दों पर बड़ों की चिंता बढ़े। जिम्मेदार लोग नीति, नियम, कानून बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले लोग बच्चों के मुद्दों पर ज्यादा बोलें, ज्यादा बहस करें और ज्यादा प्रभावशाली निर्णय ले सकें। विधानसभा की कार्यवाही में बच्चों के मुद्दों को बढ़ाने का भी अंततः दायित्व तो जनप्रतिनिधियों का ही है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के अलावा कोई भी सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते हैं। आम आदमी की भावनाएं, बच्चों की भावनाएं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही विधानसभा में पहुंचती हैं, सरकार के संज्ञान में आती हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के हक, अधिकार पर सवाल–जवाब, बहस, नीति–नियम एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज हो। ऐसी प्रक्रिया यदि लगातार चलती रहे तो सभी बच्चों के अच्छे दिन आ जाएंगे। हमारा मानना है कि सारे बच्चे माननीय सांसदों, विधायकों, शासन–प्रशासन, नीतिनिर्धारकों से सद्भाव, सहयोग, संवेदनशीलता, सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं। माननीय जनप्रतिनिधि बच्चों की स्थिति को लेकर फिक्रमंद हों और यह फिक्र विधानसभा की कार्यवाही में नजर आए तो बच्चों संबंधी मुद्दों का समाधान आसानी से हो सकता है। हमे विश्वास है कि माननीय जनप्रतिनिधि बच्चों के प्रति सदन में चर्चा की प्रक्रिया को अधिक तेज करेंगे। यह प्रक्रिया समाज के वंचित कमजोर समुदाय के बच्चों को अशिक्षा, अन्याय, शोषण, श्रम से मुक्ति दिलाने की राह आसान करेगी।

सभी बच्चे भयमुक्त, हिंसामुक्त आनंदपूर्ण माहौल में अपना जीवन जीयें, यह माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही आपके, हमारे, हम सबके सहयोग से ही सुनिश्चित हो सकेगा।

❖❖❖

तेरहवीं विधानसभा एक परिचय

''हमने लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को अंगीकार किया है जिसमें संसद एवं राज्य विधान मण्डल संसदीय गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु होते हैं। ये विधायी निकाय जहां अपने संवैधानिक एवं संसदीय कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं वहीं जनप्रतिनिधि सदन होने के कारण ये जन अपेक्षाओं, वेदनाओं, जरूरतों और संभावनाओं को अभिव्यक्त कर जनता की बेहतरी प्रगति तथा कल्याण के लिए काम करते हैं। इन संस्थाओं का गठन आम चुनाव से होता है। इन संस्थाओं की अनेक कारणों से अपनी विशिष्ट कार्य संस्कृति, शैली, स्थिति होती है जो कालांतर में संसदीय इतिहास में उनकी अलग पहचान स्थापित करती है।

मध्यप्रदेश की पहली से लेकर तेरहवीं विधानसभा अपने कार्य और स्वरूप में विशिष्ट रही है, इसका कार्यकाल संसदीय उपलब्धियों भरा रहा। इसमें अनेक नई और गौरवशाली परम्पराएँ स्थापित हुई। प्रदेश की तेरहवीं विधानसभा में भी संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध और पुष्ट करने की यात्रा निरंतर जारी रही और अनेक प्रतिमान स्थापित हुए।''

राजकुमार पाण्डेय
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधानसभा (तेरहवीं विधानसभा)

महत्वपूर्ण जानकारियां

- तेरहवीं विधानसभा का गठन 11 दिसम्बर 2008 को हुआ और समापन 10 दिसम्बर 2013 को हुआ।
- तेरहवीं विधानसभा में कुल 17 सत्र हुए जिनकी कुल अवधि 257 दिन थी, इसमें से बैठकों की कुल संख्या 167 दिन रही।
- तेरहवीं विधानसभा की बैठकों में पांच साल के दौरान कुल 815 घंटे 47 मिनट सदन की कार्यवाही हुई। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि सदन की एक दिन की बैठक पर 1.40 करोड़ रूपए खर्च होते हैं। एक मिनट में 27 हजार 585 और एक घंटे में 16.55 लाख रूपए खर्च होते हैं। विधानसभा की प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट होने वाली कार्यवाही का आंकलन विधानसभा को प्रति वर्ष आवंटित होने वाले बजट की राशि से किया जाता है।
- तेरहवीं विधानसभा के 17 सत्रों में कुल 54 हजार 590 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 11 हजार 493 प्रश्न निरस्त कर दिए गए।
- तेरहवीं विधानसभा में कुल 43 हजार 97 प्रश्न पूछे गए। इनमें से 1,785 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।
- तेरहवीं विधानसभा के दौरान पांच वर्षों की अवधि में कुल 22 हजार 152 तारांकित और 24 हजार 291 अतारांकित प्रश्न पूछे गए।
- तेरहवीं विधानसभा के लिए कुल 8,153 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 486 को शून्यकाल की सूचनाओं में परिवर्तित किया गया।
- प्रश्नोत्तर के अलावा विधायक लोक महत्व, जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे, सूचना को विधानसभा में शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन के माध्यम से उठा सकते हैं, जिसका जवाब सदन में संबंधित

❖❖❖

माननीय विधायकों से संबंधित जानकारी

- **दलवार स्थिति :** तेरहवीं विधानसभा में कुल 230 विधायक चुने गए जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 143, कांग्रेस पार्टी के 71 बहुजन समाज पार्टी के 7, भारतीय जनशक्ति पार्टी के 5, समाजवादी पार्टी के 1, निर्दलीय 3 और नामांकित विधायक 1 शामिल थे। इनमें से महिला विधायकों की कुल संख्या 25 थी, जिनमें भारतीय जनता पार्टी की 15, कांग्रेस की 8, समाजवादी पार्टी की 1, भारतीय जनशक्ति पार्टी की 1 महिला विधायक शामिल थीं।

- **जातिवार स्थिति :** तेरहवीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों में अनुसूचित जाति के कुल 35 विधायक थे, जिनमें भाजपा के 25, कांग्रेस के 9 और भारतीय जनशक्ति के 1 विधायक शामिल थे।

  तेरहवीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों में अनुसूचित जनजाति के विधायकों की कुल संख्या 47 है, जिनमें भाजपा के 29, कांग्रेस के 17 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल थे।

- **शैक्षणिक पृष्ठभूमि :** तेरहवीं विधानसभा के विधायकों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है : स्नातकोत्तर–65, स्नातक–91, एमबीबीएस–बीएएमएस–4, बीई–डिप्लोमा–9, हायर सेकेण्ड्री–24, हाईस्कूल–16, नॉन मेट्रिक–17, साक्षर–2 एवं अन्य दो विधायकों ने अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं किया है।

- **व्यवसायिक पृष्ठभूमि :** तेरहवीं विधानसभा के विधायकों की व्यवसायिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है : कृषि – 133, कृषि एवं अन्य व्यवसाय – 43, वकालत एवं अन्य व्यवसाय – 8, ठेकेदारी – 4, व्यापार – 8, समाजसेवा – 6, गृहणी – 3, अन्य व्यवसाय –19 और इसके साथ 6 विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपनी व्यवसायिक पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं किया है।

❖❖❖

शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, बहिर्गमन की जानकारी

- तेरहवीं विधानसभा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने कुल 79 बार विभिन्न सत्रों के दौरान गर्भगृह में आकर नारेबाजी की, इनमें एक बार भी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर नारेबाजी या गर्भगृह में विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ।

- तेरहवीं विधानसभा के जुलाई–अगस्त 2009 के सत्र के दौरान 14 जुलाई 2009 को कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने शहडोल जिलों में कुंआरी कन्याओं के कौमार्य परीक्षण की घटना पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराए जाने के विरोध में सदन के गर्भगृह में पहुंच गए और इस बारे में अपनी बात कहने लगे।

- विधायक रामलखन सिंह ने चार वर्षीय बालिका प्रिन्सी पटेल के साथ हुए बलात्कार के मामले में अपराधियों के खिलाफ शासन द्वारा कार्यवाही न करने के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के साथ जुलाई–अगस्त 2009 के सत्र में दिनांक 28 जुलाई 2009 को सदन से बहिर्गमन किया।

- विधायक रामलखन सिंह के नेतृत्व में बसपा सदस्यों ने रीवा जिले के ग्राम राजाबांध में एक बालिका के साथ बलात्कार होने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर दिनांक 30 मार्च 2012 को सदन से बहिर्गमन किया।

- विधायक आरिफ अकील ने बैतूल जिले के ग्राम पावाखेड़ा के विद्यालय में पिटाई से घायल छात्र की मौत होने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव किए जाने के विरोध में सदन से दिनांक 10 दिसम्बर 2012 को बहिर्गमन किया। इसी दिन इसी मामले में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्यों ने पावाखेड़ा में छात्र की पिटाई के संबंध में शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। इसी मामले में इसी दिन बसपा विधायक रामलखन सिंह ने भी बहिर्गमन किया।

- नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्यों ने प्रदेश में शिक्षाकर्मियों द्वारा सामूहिक हड़ताल किए जाने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर राज्य शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर दिनांक 11 दिसम्बर 2012 को सदन से बहिर्गमन किया। इसी दिन इसी मामले में बसपा विधायक रामलखन सिंह ने भी बहिर्गमन किया।

- अध्यापक संवर्ग की मांगों के संबंध में शासन द्वारा चर्चा नहीं कराए जाने के विरोध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने दिनांक 19 फरवरी 2013 को बहिर्गमन किया।

- सदन के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्यों ने अध्यापकों एवं शिक्षकों के वेतनमान संबंधी प्रश्नों पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर दिनांक 26 फरवरी 2013 को सदन से कांग्रेस सदस्यों के साथ बहिर्गमन किया।

- अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्यों ने दिनांक 7 मार्च 2013 को गृहमंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने के कारण सदन से बहिर्गमन किया। यह बहिर्गमन शिवपुरी में एक बालक का अपहरण कर हत्या किए जाने संबंधी ध्यानाकर्षण के जवाब से असंतुष्ट होकर किया गया था।

- तेरहवीं विधानसभा के कुल 17 सत्रों में कुल 109 बार बहिर्गमन हुआ जिसमें शिक्षा संबंधी मुद्दे पर केवल छः बार और बच्चों के विरुद्ध अपराध पर केवल छः बार हुआ।

❖❖❖

अध्ययन विधि

तेरहवीं विधानसभा की पांच वर्षों की कार्यवाही के दौरान 17 अलग-अलग सत्रों की कार्यवाही में आए लगभग 50 हजार प्रश्नोत्तरों को देखा, पढ़ा और उनमें से बच्चों के मुद्दों से जुड़े सवाल-जवाब को अलग से लिपिबद्ध किया। इसके साथ ही शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन, बहिर्गमन, महिला बाल विकास समिति के प्रतिवेदन को भी पढ़ा और इन सभी में बच्चों के मुद्दे पर जो भी तथ्य मिले उनका अवलोकन, लेखन, अध्ययन, विश्लेषण किया।

इस प्रक्रिया के दौरान सदन की कार्यवाही से संबंधित सामग्री में से बच्चों से जुड़े मुद्दों का अलग-अलग वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करके बच्चों के बारे में कैसे-कैसे सवाल-जवाब होते हैं, इसका रिकॉर्ड तैयार किया। सदन की कार्यवाही का अध्ययन करने के साथ ही बच्चों के मुद्दों को लेकर माननीय विधायकों से भी बातचीत की।

इस प्रक्रिया के माध्यम से यह देखने की कोशिश की कि सदन की कार्यवाही में शासन के कौन-कौन से विभागों से जुड़े सवाल, किस-किस विषय से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं? ऐसे कौन-कौन से विभाग होते हैं जिनमें बच्चों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं? कौन-कौन से ऐसे विधायक जो बच्चों से सम्बंधित सवाल पूछने में ज्यादा रुचि लेते हैं, बच्चों के विषयों में शासन के विभिन्न विभागों की ओर से क्या-क्या जवाब दिए जाते हैं, सदन में क्या-क्या आश्वासन दिए जाते हैं, इसका भी अध्ययन किया गया।

मध्यप्रदेश विधानसभा में बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की गहराई से पड़ताल करने के लिए तेरहवीं विधानसभा के कुल 17 सत्र में उठाये गए प्रश्नोत्तर, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, बहिर्गमन, स्थगन, महिला एवं बाल विकास की समिति के प्रतिवेदन आदि का गहन अवलोकन, अध्ययन, विश्लेषण किया गया।

❖❖❖

बच्चों के मुद्दों का वर्गीकरण

- **बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े निम्नलिखित प्रश्न प्रमुखता से आये**

  बच्चों के कुपोषण, पोषण आहार में गड़बड़ी, बच्चों को दवाएं समय पर नहीं मिलना, स्वास्थ्य परीक्षण न होना, अस्पतालों में डॉक्टरों व दवाईयों की कमी, उपकरणों का अभाव, प्रदेश में कुपोषण की स्थिति, कुपोषण से बच्चों की मौत, कुपोषण रोकने हेतु हुआ खर्च, रेडी-टू-ईट थेरेपेटिक फूड की योजना पर सवाल, टीकाकरण न होने से बच्चों के मौत, डॉक्टर की लापरवाही से बच्चों की मौत, दीनदयाल चलित अस्पताल, जननी सुरक्षा योजना की अनियमितताएं, प्रसव के दौरान माँ और बच्चे की मौत, विधवा-तलाकशुदा महिलाओं के नाम पर प्रसव के लिए राशि स्वीकृत कर देने का घोटाला, अस्पताल के लिए खरीदी गई दवाईयों का घोटाला, शिशुरोग विशेषज्ञों की कमी।

- **बच्चों की शिक्षा से जुड़े निम्नांकित प्रश्न प्रमुखता से आये**

  छात्रवृत्ति में गड़बड़ी, किताबें व फार्म समय पर न मिलना, शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति में गड़बड़ी, भरपूर बजट स्वीकृति के बाद भी अधूरे भवन, शिक्षकों की संख्या में कमी, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपी शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जांच लंबे समय तक लंबित रखना, मध्यान्ह भोजन बनाने, वितरण, प्रबंधन में गड़बड़ी, छात्रावासों में सुविधाओं का अभाव, जर्जर स्कूल भवन, खराब परीक्षा परिणाम जिसके जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। आय, जाति प्रमाण-पत्र बनने की परेशानी, डूब प्रभावित स्कूलों का बंद होना और स्कूलों का उन्नयन समय पर न होना, स्कूलों में पेयजल, शौचालय का अभाव, खराब परीक्षा परिणामों के कारण छात्र-छात्राओं की आत्महत्याएं, स्कूल की जमीन पर कब्जा, सामूहिक नकल के दोषी शिक्षकों पर कार्यवाही न होना, निजी स्कूलों की बेहिसाब बढ़ती फीस पर अंकुश न होना, बच्चों को किताबें, साईकल, गणवेश समय पर न मिलना, बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन करना, स्कूलों में खेल मैदानों का अभाव, स्कूलों के आस-पास पान-गुटखों की बिक्री आदि।

- **बच्चों की सुरक्षा से जुड़े निम्नांकित प्रश्न प्रमुखता से आये**

  बालिकाओं-बच्चों का गुम होना, बच्चों के साथ दुष्कृत्य की घटनाएं, पुलिस द्वारा छात्राओं को ब्लेकमेलिंग करना, बच्चों के अपहरण में आरोपी लोगों के गिरफ्तारी न होना, बच्चों के साथ स्कूलों में मारपीट की घटनाएं और छात्र-छात्राओं की बढ़ती आत्महत्याएं आदि।

❖❖❖

तेरहवीं विधानसभा के सत्रह सत्रों का विवरण

पत्रवार प्रश्नों का विवरण

सत्र	अवधि	तारांकित	प. तारांकित	अतारांकित	कुल प्रश्न
प्रथम	प्रश्नोत्तर नहीं हुए				
द्वितीय	16 से 20.3.09	125	355	429	909
तृतीय	6 से 29.07.09	400	1485	1587	3472
चतुर्थ	16 से 27.11.09	250	1002	1068	2320
पंचम	22.2.10 से 26.3.10	375	1663	1837	3875
षष्ठम	प्रश्नोत्तर नहीं हुए				
सप्तम	19 से 30.7.70	250	1142	1231	2623
अष्टम	22.11.10 से 2.12.10	200	930	985	2115
नवम	21.2.11 से 1.4.11	550	2254	2305	5109
दशम	11 से 22.7.11	250	942	914	2106
एकादश	21.11.11 से 2.12.11	250	1230	1249	2729
द्वादश	21.2.12 से 30.3.12	503	1288	2115	3906
त्रयोदश	16 से 26.7.16	150	595	625	1370
चतुर्दश	27.7.2012	25	114	128	267
पंचदश	4 से 14.12.12	225	945	948	2118
षोडश	18.2.13 से 22.3.13	550	2008	2024	4582
सत्रहवां	8 से 11.7.13	100	263	280	643
	कुल	**4203**	**16216**	**17725**	**38144**

पत्रवार बच्चों के प्रश्नों का विवरण

पत्र	प्रश्न	कांग्रेस	भाजपा	बसपा	सपा	निर्द.	भाजश	पुरुष	महिला
द्वितीय	62	24	32	3	0	1	2	57	5
तृतीय	290	128	141	15	0	4	1	273	16
चतुर्थ	167	85	61	14	0	2	5	153	14
पंचम	444	189	208	22	3	10	12	414	30
सप्तम	236	103	122	9	0	2	0	219	18
अष्टम	176	58	105	8	1	3	1	164	12
नवम	553	223	257	33	1	12	27	503	51
दशम	253	125	103	11	1	6	7	233	20
एकादश	342	136	173	17	1	10	5	312	30
द्वादश	566	251	263	27	4	11	10	534	33
त्रयोदश	155	54	85	8	1	3	4	147	8
चतुर्दश	72	34	36	1	0	1	0	68	4
पंचदश	175	75	87	6	1	4	2	161	14
षोडश	583	235	299	21	6	12	10	539	44
सप्तदश	18	7	10	1	0	0	0	18	0
कुल	**4091**	**1727**	**1982**	**196**	**19**	**81**	**86**	**3795**	**299**

❖❖❖

प्रत्येक सत्रवार प्रश्नोत्तर के उदाहरण

प्रत्येक सत्र के दो प्रश्नोत्तर के उदाहरण जिनसे यह पता चल सके कि विधानसभा में बच्चों संबंधी मुद्दों पर किस तरह के प्रश्न और किस तरह के उत्तर आते हैं।

प्रथम सत्र

तेरहवीं विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 05 जनवरी से 13 जनवरी 2009 तक रहा है। इस सत्र में कुल पांच बैठकें हुईं, दिनांक 5, 6, 7, 12, 13 जनवरी 2009 की बैठकों में माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उस पर चर्चा हुई। इसके उपरांत सत्र का समापन हो गया, सत्र के दौरान प्रश्नोत्तरकाल नहीं हुआ।

द्वितीय सत्र

द्वितीय सत्र के दो प्रश्नोत्तर : (1)

क्र.	33/572	महिला बाल विकास	प्रश्न	प्रदेश में कुपोषण से कितने बच्चों की मौत हुई?
दि.	18.03.2009	रामनिवास रावत	उत्तर	विभाग, कुपोषण की पहचान, निदान करता है। मौत की जानकारी नहीं रखता।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	रंजना बघेल

(2)

क्र.	19/145	पंचायत ग्रामीण विकास	प्रश्न	मध्यान्ह भोजन में भ्रष्टाचार
दि.	16.03.2009	राजेंद्र सिंह सलूजा	उत्तर	जांच की जा रही है
प्र.	अतारांकित	भाजपा	मंत्री	गोपाल भार्गव

तृतीय सत्र

तृतीय सत्र के दो प्रश्नोत्तर : (1)

क्र.	63/619	गृह	प्रश्न	प्रदेश में किन-किन थानों में जनवरी 2009 से 15 जून 2009 के बीच 10, 11, 12 कक्षा के कितने छात्रों ने आत्महत्या की, छात्राओं की आत्महत्या रोकने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

दि.	6/07/2009	पांचीलाल मेढ़ा	उत्तर	जानकारी पुस्तकालय में है पुलिस जन चेतना शिविर लगा रही है। मनोबल बढ़ाने की समझाइश दे रही है।
प्र.	अतारांकित	कांग्रेस	मंत्री	जगदीश देवड़ा

(2)

क्र.	111/2044	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	दसवीं कक्षा के खराब परीक्षा परिणाम में फेल छात्रों ने आत्महत्या कर ली, क्या परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा ?
दि.–	10/07/2009	पांचीलाल मेढ़ा	उत्तर	खराब परीक्षा परिणाम की समीक्षा के लिए समिति गठित, लेकिन जांच समिति का गठन नहीं किया गया है, आर्थिक सहायता का मण्डल में प्रावधान नहीं है।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	अर्चना चिटनीस

चतुर्थ सत्र

चतुर्थ सत्र के दो प्रश्नोत्तर : – (1)

क्र.	35/672	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	चौथी कक्षा का विद्यार्थी का नाम स्कूल से गलत तरीके से नाम काटने और उसकी माँ को पी.टी.ए. अध्यक्ष से हटाने बावत्।
दि.	20/11/2009	राजकुमार उरमलिया	उत्तर	जानकारी संलग्न है।
प्र.	प. तारांकित	बसपा	मंत्री	अर्चना चिटनीस

(2)

क्र.	34/721	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	प्रश्न	केन्द्र सरकार से अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में अनियमितता
दि.	18/11/2009	हेमराज कल्पोनी	उत्तर	जानकारी संलग्न है।
प्र.	अतारांकित	कांग्रेस	मंत्री	अजय विश्नोई

पंचम सत्र

पंचम सत्र के दो प्रश्नोत्तर : - (1)

क्र.	16/290	महिला बाल विकास	प्रश्न	प्रदेश में कुपोषित एवं बाल संजीवनी अभियान के बंद होने से गंभीर कुपोषण की स्थिति
दि.	25/02/2010	राकेश चतुर्वेदी	उत्तर	क से घ तक जानकारी एकत्र की जा रही है
प्र.	अतारांकित	कांग्रेस	मंत्री	रंजना बघेल

(2)

क्र.	9/1643	आदिम जाति कल्याण	प्रश्न	महेश्वर विकासखण्ड में संचालित स्कूल, शिक्षक, रिक्त पदों की जानकारी, छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षक हैं या नहीं, रिक्त पद कब तक भरेंगे ?
दि.	08/03/2010	डॉ. विजयलक्ष्मी साधो	उत्तर	जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार
प्र.	तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	विजय शाह

षष्टम सत्र

षष्टम सत्र दिनांक 11 मई 2010 से 14 मई 2010 तक रहा। यह विशेष सत्र 'आओ बनायें स्वर्णिम मध्यप्रदेश' पर चर्चा के लिए बुलाया गया था जिसमें प्रदेश के विकास को लेकर विशेषज्ञों के साथ माननीय विधायकों ने चार दिन तक लगातार बैठक की 7 इस सत्र में प्रश्नोत्तर काल नहीं हुआ।

सप्तम सत्र

सप्तम सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	21/396	स्वास्थ्य	प्रश्न	शिशु मृत्यु दर के बारे में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में सुधार के क्या उपाय किए गए ?
दि.	23/03/2010	महेंद्र सिंह	उत्तर	शासन के प्रयास की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	शिवराज सिंह चौहान

(2)

क्र.	14/683	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	प्रदेश में कितने जिला शिक्षा अधिकारी एवं लिपिकों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, विवरण दें। दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया गया अथवा नहीं।
दि.	30/07/2010	रामनिवास रावत	उत्तर	क से घ तक जानकारी एकत्र की जा रही है।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	अर्चना चिटनीस

अष्टम सत्र

अष्टम सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	81/977	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	रीवा जिले में अतिथि शिक्षकों के भुगतान में घोटाला
दि.	26/11/2010	राम गरीब कौल	उत्तर	इस संबंध में जांच की जा रही है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
प्र.	अतारांकित	बसपा	मंत्री	अर्चना चिटनीस

(2)

क्र.	66/1041	गृह	प्रश्न	ग्राम मगधपुरा जिला दमोह में बलात्कार के बाद आरोपी एवं परिजनों द्वारा छात्रा को जिन्दा जलाए जाने की घटना, दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्यवाही होगी?
दि.	22/11/2010	लखन घंनघौरिया	उत्तर	घटना के तथ्यों के आधार पर सही धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, इस संबंध में पुलिस एस.पी. एस.डी.ओ.पी. का स्पष्टीकरण चाहा गया है, परीक्षण उपरांत कार्यवाही होगी, लापरवाही के लिए ए.एस.आई. निलंबित।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	उमाशंकर गुप्ता

नवम सत्र

नवम सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	3/872	सामाजिक न्याय	प्रश्न	मनरेगा में स्कूली बच्चों, शाला त्यागी बच्चों, आंगनवाड़ी बच्चों के नाम पर फर्जी भुगतान
दि.	22/02/2011	लखन घनघौरिया	उत्तर	जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्र.	तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	गोपाल भार्गव

(2)

क्र.	96/3349	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साइकिल वितरण की जानकारी ।
दि.	08/03/2011	नरेन्द्र त्रिपाठी	उत्तर	जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
प्र.	प. तारांकित	भाजपा	मंत्री	अर्चना चिटनीस

दशम सत्र

दशम सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	7/193	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	सागर संभाग के स्कूलों में ब्लेकबोर्ड को ग्रीन बोर्ड में बदलना, कितना खर्च, क्या लाभ हुआ।
दि.	15/07/2011	श्रीकांत दुबे	उत्तर	काला रंग वैज्ञानिक दृष्टि से आंखों के लिए हानिकारक है तथा हरे रंग की वेवलेन्थ वर्णक्रम में मध्य में आने के कारण आँखों के लिए काले रंग से अधिक उपयुक्त होती है।
प्र.	तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	अर्चना चिटनीस

(2)

क्र.	80/1981	स्वास्थ्य	प्रश्न	सुल्तानिया जनाना अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा प्लास्टर के साथ बच्चे का हाथ काट दिए जाने के संबंध में मुआवजा कितना दिया गया?
दि.	19/07/2011	आरिफ अकील	उत्तर	आरोपी दो डॉक्टर निलंबित किए गए. शा. चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा इलाज के दौरान यदि कोई दुष्परिणाम होता है तो मरीज को आर्थिक सहायता/ मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	शिवराज सिंह चौहान

एकादश सत्र

एकादश सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	9/143	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	इन्दौर शहर में मध्याह्न भोजन योजना, गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की जा रही है ?
दि.	25/11/2011	तुलसी सिलावट	उत्तर	क से घ तक जानकारी एकत्र की जा रही है।
प्र.	अतारांकित	कांग्रेस	मंत्री	अर्चना चिटनीस

(2)

क्र.	34/630	शिक्षा	प्रश्न	अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी
दि.	22/11/2011	चम्पालाल देवड़ा	उत्तर	जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्र.	प. तारांकित	भाजपा	मंत्री	शिवराज सिंह चौहान

द्वादश सत्र

द्वादश सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	61/937	गृह	प्रश्न	नाबालिग लड़कियों के साथ इन्दौर, उज्जैन संभाग में पिछले पांच वर्षों में दुष्कृत्य की घटनाओं की जानकारी
दि.	22/02/2012	बाला बच्चन	उत्तर	क से घ तक जानकारी एकत्र की जा रही है।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	उमाशंकर गुप्ता

(2)

क्र.	52/897	स्वास्थ्य	प्रश्न	क्या मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर से अधिक है?
दि.	23/02/2012	प्रताप ग्रेवाल	उत्तर	जी हां, कारण गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की अधिकता है।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	नरोत्तम मिश्रा

त्रयोदश सत्र

त्रयोदश सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	92/1545	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	रीवा जिले में बंद पाए गए मदरसों को तीस लाख का अनुदान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा
दि.	20/07/2012	राधेलाल बघेल	उत्तर	कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन में मदरसों को विधिवत् संचालित होना नहीं पाया गया. भुगतान उच्च न्यायालय में रिट पीटिशन के आधार पर
प्र.	प. तारांकित	बसपा	मंत्री	अर्चना चिटनीस

(2)

क्र.	67/760	वित्त	प्रश्न	बच्चों के पौष्टिक आहार, खाद्य पदार्थ बोर्नविटा कंप्लान पर लगने वाला कर
दि.	16/07/2012	राकेश चौधरी	उत्तर	बच्चों के उपयोग आने वाले पैकिंग में बिकने वाले खाद्य पदार्थ पर 13 प्रतिशत वेट और दो प्रतिशत प्रवेश कर लगता है।
प्र.	अतारांकित	कांग्रेस	मंत्री	राघव जी

चतुर्दश सत्र

चतुर्दश सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	103/2817	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	स्कली बच्चों के लिए 51 लाख से अधिक राशि खर्च कर धार जिले में खरीदे गए पौधे
दि.	27/07/2012	पांचीलाल मेढ़ा	उत्तर	पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति की गति, धैर्य की भावना के विकास के लिए 22922 पौधे खरीदे गये हैं, इनमें से 9805 पौधे सूख कर नष्ट हो जाने की सूचना है।
प्र.	अतारांकित	कांग्रेस	मंत्री	अर्चना चिटनीस

(2)

क्र.	115/2858	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	चम्बल संभाग में छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की मौत।
दि.	27/07/2012	कमलेश जाटव	उत्तर	जानकारी संलग्न है।
प्र.	अतारांकित	कांग्रेस	मंत्री	अर्चना चिटनीस

पंचदश सत्र

पंचदश सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	104/1753	स्वास्थ्य	प्रश्न	मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, कितने बच्चों का उपचार, कितनी निजी शासकीय अस्पतालों को कितनी राशि का भुगतान किया गया?
दि.	5/12/2012	पांचीलाल मेढ़ा	उत्तर	जानकारी संलग्न है।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	नरोत्तम मिश्रा

(2)

क्र.	113/1848	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	अतिक्रमण की चपेट में पानी, शौचालय, फर्नीचर की कमी से जूझते भोपाल के स्कूल जानकारी दें।
दि.	10/12/2012	आरिफ अकील	उत्तर	जानकारी संलग्न है।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	अर्चना चिटनीस

षोडश सत्र

षोडश सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	74/1049	स्कूल शिक्षा	प्रश्न	स्कूलों में अग्निशमन यंत्र क्रय किए जाने में अनियमितताएं दिनांक 26/02/2013 गोविन्द सिंह उत्तर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
प्र.	प. तारांकित	कांग्रेस	मंत्री	अर्चना चिटनीस

(2)

क्र.	46/1493	श्रम	प्रश्न	टीकमगढ़ जिले में श्रमिकों के बच्चों के लिए योजनाएं।
दि.	27/02/2013	अजय यादव	उत्तर	जानकारी संलग्न है।
प्र.	प. तारांकित	भजपा	मंत्री	जगन्नाथ सिंह

सत्रहवां सत्र

सत्रहवां सत्र के दो प्रश्नोत्तर :- (1)

क्र.	34/367	गृह	प्रश्न	प्रदेश में महिला नाबालिग लड़कियों को जिंदा जलाने के कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए? वर्ष 2008 से जून 2012 के बीच।
दि.	8/07/2013	रणवीर जाटव	उत्तर	कुल 608 मामले पाए गए।
प्र.	अतारांकित	कांग्रेस	मंत्री	उमाशंकर गुप्ता

क्र.	61/1215	महिला बाल विकास	प्रश्न	कुपोषण बढ़ने पर कितने अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
दि.	10/07/2013	बाला बच्चन	उत्तर	एनएफएचएस-3 के अनुसार कुपोषण में कमी आई है ? अत: शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।
प्र.	अतारांकित	कांग्रेस	मंत्री	रंजना बघेल

विभागवार बच्चों से संबंधित प्रश्नों की संख्या

क्र.	विभाग का नाम	बच्चों से जुड़े कुल प्रश्न	शिक्षा	संरक्षण	स्वास्थ्य	पोषण
1	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	27	24	3	0	0
2	आदिम जाति कल्याण विभाग	352	347	2	0	3
3	आवास एवं पर्यावरण विभाग	1	1	0	0	0
4	उद्योग विभाग	3	2	0	0	1
5	उर्जा विभाग	4	4	0	0	0
6	खनिज विभाग	1	1	0	0	0
7	खाद्य विभाग	1	0	0	0	1
8	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	17	17	0	0	0
9	गृह विभाग	71	5	64	0	2
10	तकनीकी शिक्षा विभाग	1	1	0	0	0
11	नगरीय प्रशासन विभाग	28	20	0	0	8
12	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	1	1	0	0	0
13	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	33	1	1	3	28
14	परिवहन विभाग	6	5	1	0	0
15	महिला बाल विकास	588	12	56	22	498

16	मुख्यमंत्री सचिवालय	8	4	1	3	0
17	राजस्व विभाग	22	20	2	0	0
18	लोक निर्माण विभाग	3	3	0	0	0
19	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	7	5	0	2	0
20	वन विभाग	2	2	0	0	0
21	वित्त विभाग	8	2	4	0	2
22	विमुक्त घुमक्कड़ विभाग	4	4	0	0	0
23	स्कूल शिक्षा	2566	2483	71	6	6
24	श्रम विभाग	64	2	60	0	2
25	सहकारिता विभाग	1	1	0	0	0
26	सामाजिक न्याय विभाग	112	16	18	1	77
27	सामान्य प्रशासन विभाग	2	0	2	0	0
28	स्वास्थ्य विभाग	154	5	3	125	21
29	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	11	11	0	0	0

❖❖❖

निष्कर्ष

विधानसभा में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्न और सरकार द्वारा दिए गए उत्तर का गहन विश्लेषण करने से जो परिणाम सामने आये हैं उनके निष्कर्ष इस प्रकार है:-

1. यदि हम बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्नों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इस विषय पर माननीय विधायकों ने कुल 160 प्रश्न किए हैं जो कि सदन में पूछे गए कुल प्रश्नों का मात्र 0.37 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश का नाम कुपोषण के कारण होने वाली बच्चों की मौत और शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे ऊपर है। इसकी बाद भी माननीय विधायकों ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर मात्र 0.37 प्रतिशत ही सवाल विधानसभा में खड़े किए।

2. स्वास्थ्य के मुद्दे का वर्गीकरण करने पर पता चलता है कि इसमें मानव संसाधन से जुड़े 33, नीति नियम से जुड़े 108, भ्रष्टाचार से जुड़े 13 और अधोसंरचना के मुद्दे पर 6 प्रश्न किए गए हैं। मध्यप्रदेश में सरकारी अस्पतालों की बदहाली के किस्से गांव-शहर से लेकर महानगर और राज्य की राजधानी भोपाल तक में आसानी से देखे सुने जा सकते हैं फिर भी स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्नों का प्रतिशत मात्र 0.37 होना यह बताता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधायक या तो ज्यादा सवाल नहीं करते हैं अथवा सवाल करना नहीं चाहते हैं। इसका एक कारण शायद यह भी है कि देश-प्रदेश में जितने भी अति विशिष्टजन हैं वे सरकारी अस्पतालों में खुद के उपचार के लिए जाने के बजाय निजी अस्पताल को प्राथमिकता देते हैं।

3. पोषण के मुद्दे पर भी माननीय विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या 648 है जो कि कुल प्रश्नों का मात्र 0.80 प्रतिशत है। कुपोषण के मामले में मध्यप्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो चुका है फिर भी इस विषय पर दिन में बहुत कम सवाल आना आश्चर्यजनक है। पोषण के मुद्दे का वर्गीकरण करने पर पता चलता है कि इसमें नीति नियम से जुड़े 428, मानव संसाधन से जुड़े 95, अधोसंरचना से जुड़े 82 प्रश्न किए गए, जबकि भ्रष्टाचार से जुड़े 43 प्रश्न पूछे गए।

4. यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा संरक्षण के मुद्दों से जुड़े उपविषय मानव संसाधन, अधोसंरचना, नीति-नियम, भ्रष्टाचार के बारे में पूछे गए प्रश्नों को देखें तो पता चलता है कि मानव संसाधन संबंधी 1091, अधोसंरचना संबंधी 942, नीति नियम संबंधी 1719 और भ्रष्टाचार संबंधी 167 प्रश्न माननीय विधायकों द्वारा पूछे गए।

5. यदि बच्चों से जुड़े मुद्दों को पार्टी के आधार पर देखें तो भाजपा ने कुल 1982 प्रश्न किए। इसमें शिक्षा संबंधी 1556, स्वास्थ्य संबंधी 70, पोषण संबंधी 276 और सुरक्षा संरक्षण संबंधी 80 प्रश्न शामिल रहे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कुल 1727 प्रश्न पूछे। इनमें से शिक्षा संबंधी 1204, स्वास्थ्य संबंधी 81, पोषण संबंधी 310 और सुरक्षा संरक्षण संबंधी 132 प्रश्न शामिल रहे। बहुजन समाज पार्टी ने कुल 196 प्रश्न पूछे। इनमें से शिक्षा संबंधी 155, स्वास्थ्य संबंधी 1, पोषण संबंधी 5

और सुरक्षा संरक्षण संबंधी 8 प्रश्न शामिल रहे।

6. यदि समाजवादी पार्टी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखें तो पता चलता है कि सपा ने कुल 19 प्रश्न किए, जिसमें से 12 शिक्षा संबंधी, 1 स्वास्थ्य संबंधी, 6 पोषण संबंधी प्रश्न थे। जबकि सुरक्षा संरक्षण के संबंध में समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों ने सदन में एक प्रश्न भी नहीं किया।

7. इसी प्रकार भारतीय जनशक्ति पार्टी के विधायकों ने शिक्षा संबंधी 66, स्वास्थ्य संबंधी 1, पोषण संबंधी 18 प्रश्न किए। जबकि सुरक्षा संबंधी केवल 1 प्रश्न किया।

8. तेरहवीं विधानसभा में माननीय विधायकों द्वारा कुल 43,097 प्रश्न पूछे गए। ये प्रश्न राज्य शासन के 57 विभागों से संबंधित रहे। इनमें 30 विभाग ऐसे हैं जिनका बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण–सुरक्षा, संबंधी योजनाओं से किसी न किसी रूप में संबंध है।

9. तेरहवीं विधानसभा में माननीय विधायकों ने बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कुल 4091 प्रश्न किए गए जो कि उनके द्वारा किए गए कुल प्रश्नों का मात्र 9.49 प्रतिशत है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सदन में बच्चों से जुड़े मुद्दों पर 10 प्रतिशत सवाल भी नहीं हो पाए। इससे यह जाहिर होता है कि बच्चों से जुड़े मुद्दों के बारे में या तो माननीय विधायकों को जानकारी नहीं है अथवा यदि है तो भी वे इन मुद्दों पर सदन में सवाल उठाना जरूरी नहीं समझते हैं। बच्चों के बारे में 10 प्रतिशत से भी कम सवाल–जवाब होना यह बताता है कि बच्चों से सम्बंधित सवाल माननीय विधायक की प्राथमिकता में नहीं हैं।

10. तेरहवीं विधानसभा में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गए कुल प्रश्नों में बच्चों की शिक्षा से जुड़े विभिन्न सवालों की संख्या 3054 रही, जो कि कुल सवालों का 7.08 प्रतिशत है। शिक्षा से जुड़े सवालों के लिए सदन में इनके कम प्रश्नोत्तर होने का मतलत क्या यह निकाला जाए कि वर्तमान में बच्चों को जिस प्रकार शिक्षा दी जा रही है उससे माननीय विधायक संतुष्ट हैं और वे शिक्षा व्यवस्था को लेकर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं।

11. यदि हम बच्चों की शिक्षा संबंधी पूछे गए कुल 3054 प्रश्नों को विश्लेषण करें तो इसमें से मानव संसाधन संबंधी 1062, अधोसंरचना संबंधी 854, नीति नियम संबंधी 1033 और भ्रष्टाचार संबंधी 105 प्रश्न पूछे गए। इससे जाहिर होता है कि बच्चों के क्षेत्र में सर्वाधिक समस्या मानव संसाधन, नीति–नियम का क्रियान्वयन पूरी तरह न हो पाने की है। माननीय विधायकों ने शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार से अधिक बड़ी समस्या मानव संसाधन, अधोसंरचना, नीति नियम के क्रियान्वयन की कमी को माना है।

12. बच्चों के संरक्षण–सुरक्षा संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण करें तो माननीय विधायकों ने इससे जुड़े कुल 229 प्रश्न किए, जो कि सदन में बच्चों के मुद्दों पर पूछे गए कुल सवालों का मात्र 0.53 प्रतिशत है। यहां यह बताना जरूरी है कि बाल अपराध के मामले में मध्यप्रदेश देश के उन तीन राज्यों में से एक हैं जहां बच्चों से जुड़ी आपराधिक घटनाएं सर्वाधिक होती हैं। बच्चों के अपहरण, नाबालिग बच्चों के साथ होने वाली अमानवीय घटनाओं के मामले में भी मध्यप्रदेश के आंकड़े अन्य राज्यों

की तुलना में बहुत अधिक हैं। बच्चों से जुड़ी अनेक घटनाएं बच्चों की सुरक्षा–संरक्षण को लेकर किए गए सरकारी इंतजाम पर सवाल करती नजर आती है। इसके बावजूद सुरक्षा–संरक्षण के मुद्दे पर मात्र 0.53 प्रतिशत सवाल सदन में आने से ऐसा लगता है कि माननीय विधायक बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

13. यदि हम बच्चों की सुरक्षा–संरक्षण संबंधी प्रश्नों का वर्गीकरण करें तो कुल 229 प्रश्नों में से मानव संसाधन से जुड़ा 1 प्रश्न, भ्रष्टाचार से जुड़े 6 प्रश्न, नीति नियम से जुड़े 222 प्रश्न पूछे गए जबकि अधोसंरचना से जुड़े विषय पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। बच्चों की सुरक्षा–संरक्षण से जुड़े नीति नियम संबंधी 222 प्रश्न पूछा जाना यह बताता है कि इस मुद्दे पर नीति–नियमों के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है।

14. निर्दलीय विधायकों ने सदन में कुल 81 प्रश्न किए, जिनमें शिक्षा संबंधी 61, स्वास्थ्य संबंधी 6, पोषण संबंधी 6 और सुरक्षा संरक्षण संबंधी 8 प्रश्न शामिल रहे।

15. यदि हम बच्चों से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा–संरक्षण जैसे मुद्दों पर मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में पूछे गए प्रश्नों की संख्या को देखें तो पता चलता है कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े 19 प्रश्न, आदिम जाति कल्याण विभाग से जुड़े 352 प्रश्न, आवास एवं पर्यावरण विभाग से जुड़ा 1 प्रश्न, उद्योग विभाग से जुड़े 3 प्रश्न, ऊर्जा विभाग से जुड़े 4 प्रश्न, खनिज विभाग से जुड़ा 1 प्रश्न, खाद्य विभाग से जुड़ा 1 प्रश्न, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से जुड़े 17 प्रश्न, गृह विभाग से जुड़े 71 प्रश्न, तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़ा 1 प्रश्न, नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े 28 प्रश्न, नर्मदा घाटी विकास विभाग से जुड़ा 1 प्रश्न, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े 33 प्रश्न, परिवहन विभाग से जुड़े 6 प्रश्न, महिला बाल विकास विभाग से जुड़े 588 प्रश्न, मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े 8 प्रश्न, राजस्व विभाग से जुड़े 22 प्रश्न, लोक निर्माण विभाग से जुड़े 3 प्रश्न, लोक सेवा प्रबंधन से जुड़े 11 प्रश्न, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जुड़े 7 प्रश्न, वन विभाग से जुड़े 2 प्रश्न, वित्त विभाग से जुड़े 8 प्रश्न, विमुक्त– घुमक्कड़ विभाग से जुड़े 4 प्रश्न, स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े 2566 प्रश्न शामिल हैं।

16. श्रम विभाग से सम्बंधित 64 प्रश्न, सहकारिता विभाग से जुड़ा 1 प्रश्न, सामाजिक न्याय विभाग से जुड़े 112 प्रश्न, सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े 2 प्रश्न, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 154 प्रश्न शामिल हैं।

17. यहां यह बताना जरूरी होगा कि बच्चों के मुद्दों पर सर्वाधिक प्रश्न करने वाले विधायकों में चम्पालाल देवड़ा 90, हितेन्द्र सिंह सोलंकी 26, सुलोचना रावत 28, सुरेश चौधरी 34, सुदामा सिंह सिगराम 18, सुदर्शन गुप्ता 18, सत्यनारायण पटेल 28, संजय पाठक 56, गिरिजा शंकर शर्मा 37, दिलीप सिंह गुर्जर 61, कुंवर विक्रम सिंह 26, सुरेश चौधरी 34, गोविन्द राजपूत 74, गौतम टेटवाल 43, साधना स्थापक 19, अजय यादव 42, अरविन्द भदौरिया 33, कमलेश जाटव 27, के.पी. सिंह 36, चौधरी राकेश सिंह 13, जीतू तिराती 39, जुगल किशोर बागरी 34, जेवियर मेढ़ा 39, तुलसी सिलावट 38, दीपक जोशी 46 एवं देवी सिंह पटेल के 28 प्रश्न शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समितियों के प्रतिवेदनों का बच्चों के मुद्दों पर अध्ययन

तेरहवीं विधानसभा में महिला एवं बाल विकास समिति के प्रतिवेदनों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अनेक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण समिति ने कोई भी निर्णय देने में असमर्थता प्रकट की।

इस संबंध में एक उदाहरण का उल्लेख आवश्यक है। वर्ष 2006 से 2008 की महिला बाल विकास समिति का जो प्रतिवेदन 18 मार्च 2008 को मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया उसमें भिण्ड जिले की बालिका पूजा माहौर के अपहरण सहित कुछ अन्य घटनाओं का विवरण भी शामिल था। समिति की सभापति निर्मला भूरिया और 11 माननीय विधायकों ने जो कि समिति के सदस्य थे, कहा कि प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसे में समिति वैधानिक कार्यवाही के बारे में न्यायालय के निर्णय से अवगत होना चाहेगी। प्रतिवेदन में समिति ने अपनी ओर से ना तो कोई निर्णय दिया ना ही किसी प्रकार की अनुशंसा की।

इसी प्रकार 9 जुलाई 2008 को प्रस्तुत महिला बाल विकास समिति के प्रतिवेदन में छोटी बच्चियों के अपहरण, खरीद-फरोख्त जैसे मामलों के बारे में समिति ने कहा कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, ऐसे में समिति को भी न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया जाए। यहां यह बताना जरूरी है कि महिला बाल विकास समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की है जिसकी अनुशंसा मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

हमारा यह बताने का आशय है कि सदन द्वारा गठित की गई महिला बाल विकास समिति बच्चों के हितों के बारे में प्रभावी निर्णय बहुत कम मामलों में ले पाई है। इस प्रकार की समितियों से बच्चों के हितों का संरक्षण तत्काल हो सके, इसकी संभावना कम ही प्रतीत होती है।

❖❖❖

विश्लेषण

मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 2009 से वर्ष 2013 के बीच माननीय विधायकों द्वारा किए गए सभी प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, स्थगन आदि का अवलोकन, अध्ययन, विश्लेषण करने पर यह देखा गया कि बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा अपेक्षाकृत कम हुई है। विभिन्न विभागों में शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार, लापरवाही के मामले अधिक चर्चित रहे। महिलाओं से संबंधित विषयों पर भी चर्चा का उल्लेख सदन की कार्यवाही में मिलता है। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, अपराध, श्रम आदि मुद्दों पर चर्चा के अवसर अनेक बार आए हैं। बच्चों से संबंधित योजनाओं में भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, बच्चों के साथ घटित अपराध, बालश्रम सहित अनेक मामलों को माननीय विधायकों ने सदन में जोरदार तरीके से उठाया है। बच्चों से सम्बंधित विभिन्न विभागों की शासकीय योजनाओं पर, उनमें हो रही गड़बड़ियों पर सदन में सवाल-जवाब किए गए। बाल श्रम रोकने को लेकर सरकार के जवाब उत्साहवर्धक नहीं है। सरकार द्वारा सदन में दिए गए जवाबों को सही माने तो संपूर्ण मध्यप्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक जिलों में कुल मिलाकर 500 भी नहीं है। जबकि सत्यता तो यह है कि बाल श्रमिक हर गांव, शहर में आसानी से देखे जा सकते हैं। हमारा यह बताने का आशय है कि बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके लिए आनंददायक वातावरण बनाने की दिशा में सरकार के स्तर से विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे काफी सुधारने की गुंजाइश नजर आती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार माननीय विधायकों के बच्चों से जुड़े सवालों का जवाब किसी भी प्रकार देकर अपने दायित्व की पूर्ति मात्र कर रही है। इस औपचारिकता में गंभीरता और सक्रियता का अभाव भी कई बार साफ नजर आता है। कई बार तो सदन में माननीय विधायकों को बच्चों से जुड़े सवाल के जवाब भी गलत दे दिए गए। असत्य जवाबों को लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने अप्रसन्नता जाहिर की है। इस संदर्भ में तेरहवीं विधानसभा में कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के तत्कालीन विधायक संजय पाठक द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से जुडे एक प्रश्न का जिक्र जरूरी होगा। इस प्रश्न का जवाब सदन में गलत दिया गया, इसे लेकर श्री पाठक ने आपत्ति की और प्रश्न एवं संदर्भ समिति को शिकायत कर दी। इस समिति के तत्कालीन सभापति, वरिष्ठ विधायक गिरिजाशंकर शर्मा थे। उनकी अध्यक्षता में 11 विधायकों की समिति ने पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर जो प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया वह नौकरशाही के गैर जिम्मेदार व्यवहार को प्रकट करता है। दिनांक 26.03.2012 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 'प्रश्न और संदर्भ समिति को अत्यंत खेद है कि कुछ प्रकरणों में विधानसभा सचिवालयों द्वारा अनेक बार पत्र, स्मरण पत्र एवं अर्धशासकीय पत्र प्रेषित करने पर भी आवश्यक जानकारी यथा समय उपलब्ध नहीं हो पाई।'

समिति का यह कथन जाहिर करता है कि सदन के प्रति कई बार अधिकारियों में पर्याप्त गंभीरता और

सक्रियता दिखाई नहीं देती है। जो अधिकारी माननीय विधायकों को, विधानसभा को गलत जवाब दे सकते हैं, वे बच्चों के मुद्दों की प्रति कितने चिंतित होंगे? इसे आसानी से समझा जा सकता है।

विधायिका में बच्चों से जुड़े मुद्दों का अवलोकन, अध्ययन, विश्लेषण करते हुए यह देखा गया है कि माननीय विधायकों ने नीति नियम, व्यवस्था, अनियमितताओं से जुड़े मुद्दों पर अधिक प्रश्न किए हैं। तेरहवीं विधानसभा में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अधिक प्रश्न किए हैं, जबकि अन्य विपक्षी दलों एवं निर्दलीय विधायकों की रुचि प्रश्न पूछने में कम है। इसका अपवाद एक निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा हैं जिन्होंने बच्चों से जुड़े ज्यादातर मुद्दों पर सवाल पूछने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। बच्चों के मुद्दों पर महिला विधायकों ने अपेक्षाकृत कम प्रश्न किए हैं। बच्चों से जुड़े मुद्दों में सर्वाधिक सवाल शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग के प्रश्नों का अवलोकन करने पर यह देखा गया है कि मध्यप्रदेश के शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, शिक्षकों की कमी, छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी, मध्यान्ह भोजन का गुणवत्तायुक्त न होना, अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाना, जर्जर स्कूल भवन, किताबों की कमी, गणवेश-साइकल वितरण में अनियमितताएं जैसे अनेक मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इनके जवाब में शासन की ओर से तत्काल असरदार कार्यवाही किए जाने के बजाए 'रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है', 'आरोप की जांच कराई जा रही है', 'शिक्षकों की पद पूर्ति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है', 'शेष प्रश्नांश का उत्तर ही उपस्थित नहीं होता' जैसे जवाब दिए जा रहे हैं। शासन की ओर से दिए गए इन जवाबों को संतोषप्रद नहीं माना जा सकता।

विधायिका और बच्चों के मुद्दों का अध्ययन करते हुए यह अनुभव हुआ कि जनप्रतिनिधि भले ही बदल रहे हों, लेकिन सवाल और जवाब नहीं बदले हैं। अव्यवस्था को जाहिर करने वाले जो सवाल वर्ष 2008 के प्रारंभिक सत्रों में देखे गए, ऐसे ही सवाल तेरहवीं विधानसभा के समापन सत्र तक वर्ष 2013 में भी पूछने का सिलसिला चलता रहा। सवाल-जवाब का अध्ययन करते हुए यह धारणा मजबूत होती है कि सरकार बच्चों से जुड़े मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही करने के बजाय कई बार टालमटौल का रवैया अपनाती है। इसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बालश्रम से जुड़ी समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं हो पाता। गंभीर अनियमिताओं के आरोपियों को तत्काल कड़ी कार्यवाही न करते हुए बचाने की कोशिश में मंत्री भी नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार, अनियमिताओं, लापरवाही, उदासीनता के दोषी लोगों की पैरवी कर रही है और उन पर कार्यवाही न करने के लिए ज्यादा सक्रिय है।

❖❖❖

जवाब से बचने की भाषा

बच्चों के मुद्दों पर लापरवाही, उदासीनता, अनियमितता करने वालों की पैरवी में प्रयुक्त शब्दावली जो कि सदन की कार्यवाही में प्रश्नोत्तर के दौरान देखी गई। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है:-

1. मुख्यमंत्री ने हमारे गांव की आमसभा में स्कूल को हाईस्कूल किए जाने की घोषणा की थी, वह कब पूरी होगी?

- घोषणा संबंधी जानकारी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

2. पूर्व में पूछे गए प्रश्नोत्तर में बताया गया था कि कारण बताओ नोटिस दिया गया है, क्या नोटिस का जवाब प्राप्त हो गया है ? यदि हां तो उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई तो क्यों ?

- जी हां, प्रतिवाद उत्तर का परीक्षण किया जा रहा है।

3. प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, प्रकरण की जांच की जा रही है।

4. जांच पूर्ण हो गई है, जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

5. जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, परीक्षणाधीन है।

6. प्रतिवेदन का परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

7. मामला न्यायालय में है, इसलिए कार्यवाही संभव नहीं है।

8. जांच के दौरान शिकायत की पुष्टि नहीं हुई, अत: कोई भी अधिकारी-कर्मचारी दोषी नहीं है।

9. क से घ तक जानकारी एकत्र की जा रही है।

10. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ, ब, स पर है।

11. अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसलिए कार्यवाही करना संभव नहीं है।

12. समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

13. दोषी पर कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

14. कार्यवाही के लिए आयुक्त, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष से अभिमत चाहा गया है।

15. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर संयुक्त संचालक भोपाल संभाग को जांच हेतु आदेशित किया गया है।

16. किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जांच कमेटी द्वारा नहीं पाया गया है, अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

17. उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रश्नकर्ता का उल्लेखित पत्र/शिकायत विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया।

18. माननीय मंत्री को प्राप्त शिकायत पर क्रमांक, दिनांक का उल्लेख नहीं था, अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

19. भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करवाई जा रही है।

20. अधिकारी से मारपीट किए जाने की जानकारी मिली है, लेकिन पुलिस थाने में प्रकरण पंजीबद्ध होने की जानकारी नहीं होने से निलंबन की कार्यवाही नहीं की गई।

21. शिकायत प्राप्त न होने से जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

22. निलंबन उपरांत शिक्षक द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया, अतएव निलंबन संबंधी आरोपों की जांच नहीं कराई गई।

❖❖❖

माननीय विधायकों से सवाल

माननीय विधायक के रूप में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के लिए आपका अभिनंदन, सदन में बच्चों को लेकर जो सवाल–जवाब हुए हैं, उसके बाद मेरे मन में आपसे निम्न बिन्दुओं पर विचार जानने की इच्छा है:–

1. विधायिका बच्चों के मुद्दों की प्रति कितनी सजग है, सक्रिय है? क्या यह सजगता सक्रियता पर्याप्त है? क्या इसे बढ़ाने की जरूरत है।

2. सदन में बच्चों के लिए मुद्दों पर अभी चर्चा के लिए पर्याप्त समय है या नहीं? बच्चों के मुद्दों को सदन में महत्व मिले, इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, यदि हाँ तो क्या किया जाए?

3. क्या बच्चों के मुद्दों पर संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए विधायकों का विषय विशेषज्ञों के साथ निरंतर संवाद जरूरी मानते हैं?

4. माननीय विधायकों की बच्चों के प्रति, उनकी समस्याओं की प्रति, शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति, बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा के प्रति समझ बढ़े, इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए?

5. बच्चों के मुद्दों पर बड़ों के बीच सदन में, सदन के बाहर अधिक संवाद हो, इसके लिए क्या किया जाए?

6. बच्चों के मुद्दों पर, प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयास क्या पर्याप्त हैं? आप इस बारे में प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं?

7. क्या आप बच्चों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के नाते स्थानीय प्रशासन में भी प्रश्न करते हैं?

8. क्या आप बच्चों के प्रति स्वयंसेवी संस्थाओं, समाचार पत्रों से मिली जानकारी या खबर के आधार विधायिका में प्रश्न करते हैं?

9. मध्यप्रदेश विधानसभा की विधायिका में बच्चों के विषय पर कभी भी अविलम्ब लोक महत्व के विषय पर चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, अशासकीय विधेयक, अशासकीय संकल्प लाकर नीतिगत विषयों पर चर्चा कम होती है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?

❖❖❖

माननीय विधायकों के जवाब

श्री बाला बच्चन, कांग्रेस

कांग्रेस विधायक श्री बाला बच्चन कहते हैं कि राज्य सरकार बच्चों के मुद्दों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। अधिकारी, विधायकों के प्रश्नों का गलत जवाब देने से भी नहीं डरते हैं। अधिकारियों के मन में विधायिका के प्रति जिम्मेदारी की भावना कम है। ऐसे कई मामले है जिनमें अधिकारियों की लापरवाही, गड़बड़ी, गैर जिम्मेदारी सामने आने पर भी राज्य सरकार की ओर से उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं की गई। कई बार तो ऐसा लगता है कि भ्रष्ट अधिकारियों को गंभीर मामलों में कार्यवाही करने के बजाए बचाया जा रहा है। सरकारी स्तर पर दोषी लोगों को बचाने के प्रयास हो रहे हैं। श्री बाला बच्चन मानते हैं कि सदन में बच्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सवाल उठाये जाने और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने की जरूरत है।

श्री पुरूषोत्तम दांगी, कांग्रेस

सदन में बच्चों से सम्बंधित जो प्रश्न माननीय विधायकों ने किए उनके उत्तर में कई बार लापरवाही, उदासीनता, गलतबयानी साफ जाहिर होती है। ऐसा लगता है कि शासन की ओर से लापरवाही, उदासीनता, अनियमितता करने वालों को बचाया जा रहा है। उनको संरक्षण देने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाये जाते हैं। लगता है कि सरकार बच्चों के मामले में केवल नियम-कानून बनाकर ही अपने कर्तव्यों को पूरा हो गया, ऐसा मान रही हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि मध्यप्रदेश में बालश्रम, बाल अपराध और शिक्षा से वंचित बच्चों के मामले बहुत देखने में आते हैं। हमने इस संबंध में विधानसभा में जो प्रश्न लगाए हैं उनका हमे संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, संरक्षण, बालकल्याण के लिए जिन विभागों की जिम्मेदारी है, उन विभागों के अधिकारी कागजी खानापूर्ति करने में ज्यादा ध्यान देते हैं।

श्री राव देशराज सिंह यादव, भाजपा

भाजपा विधायक श्री राव देशराज सिंह यादव के अनुसार सदन में बच्चों से सम्बंधित मामले सभी दलों के विधायक उठाते आए हैं। बच्चों से जुड़े मामलों पर हमारी सरकार की ओर से जो कार्यवाही नियमानुसार की जाना चाहिए वह होती है। वे यह स्वीकार करते हैं कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक बेहतर तरीके से किया जाए तो ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। श्री यादव का मानना है कि बच्चों के हितों का संरक्षण करने में जनप्रतिनिधियों के साथ ही समाज के अन्य वर्ग के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। सबके सहयोग से ही सारे बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर

सुरक्षा का वातावरण मिलेगा। वर्तमान समय में बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने, उनमें अच्छे संस्कार को विकसित करने की जरूरत है, तभी वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को विश्वगुरू बनाने की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

श्री पारस सकलेचा, निर्दलीय

निर्दलीय विधायक श्री पारस सकलेचा के अनुसार बच्चों से जुडे अपराध में पुलिस का रवैया कई बार निराशाजनक होता है। मध्यप्रदेश में तो ऐसे भी मामले देखने में आए जब पुलिसवालों ने ही बच्चों के साथ शोषण, अन्याय आदि की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिसवाले खुद ही अपराधी बन गए। श्री सकलेचा ने बताया कि उन्होंने एक पुलिसकर्मी द्वारा छात्रा को एम.एम.एस. के माध्यम से ब्लेकमेल करने का मामला सदन में उठाया था। दोषी पुलिसकर्मी पर उस समय प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। केस कमजोर बनाया गया जिसका नतीजा यह है कि वह पुलिसकर्मी वापस नौकरी में आ गया है।

इसी प्रकर बच्चों पर ड्रग ट्रायल करने वाले चिकित्सकों का मुद्दा कई बाद सदन में उठाया, लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी उन चिकित्सकों पर कड़ी कार्यवाही नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि हर नया घोटाला, हर नई घटना पुरानी घटना को, पुराने घोटाले को दबाने में सफल हो जाती है और पुराने मामलों के जिम्मेदार लोग कड़ी कार्यवाही से बच जाते हैं। श्री सकलेचा का कहना है कि बच्चों के साथ अपराधिक घटनाओं का जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। इससे बच्चों के साथ होने वाली अमानवीय घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

❖❖❖

सुझाव

1. संसदीय कार्यवाही में, विधायिका में बच्चों के मुद्दों को अभी पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है, इसे बच्चों की बदहाली का बड़ा कारण माना जाना चाहिए।

2. बच्चों के मुद्दों पर विधायकों में अधिक जागरूकता बढ़ाये जाने की पहल की जानी चाहिए। महिला विधायकों को इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. नगरीय निकायों द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए लगाए जा रहे शिक्षा उपकर की राशि का उसी मद में समुचित, यथासमय उपयोग हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. बच्चों के मुद्दों पर विभिन्न मामलों में सदन में किए गए प्रश्नों पर शासन द्वारा जो जवाब दिए जाते हैं, उनमें ज्यादातर मामलों में जांच का आश्वासन दिया जाता है। ऐसे मामलों की जांच त्वरित तय समय-सीमा में पूर्ण होना चाहिए। विवादित अति गंभीर किस्म के, वित्तीय अनियमिताओं के मामलों की जांच रिपोर्ट को जनहित में सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

5. सदन में शासन की ओर से माननीय विधायकों को कई बार गलत जवाब या संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाते हैं, ऐसा विधायकों का कहना है। इस स्थिति पर तत्काल रोक लगाई जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो दोषी अधिकारी पर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही हो जिससे भविष्य में शासन की ओर से किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।

6. माननीय विधायक, अपने-अपने क्षेत्र में बच्चों से जुड़ी समस्या से निरंतर अवगत हो सके, इसके लिए नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी अपनी भागीदारी बढ़ाना होगी।

7. माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्र के स्कूल, अस्पताल, छात्रावास, किशोर बालिका बालक गृह आदि स्थानों का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करें। विधायकों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के त्वरित प्रयास भी किया जाना चाहिए। विधायकों को बच्चों को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि वह हर समय उनकी मदद के लिए तैयार है।

8. बच्चों से जुडे मामलों पर संवेदनशीलता, सहानुभूति बढ़ाने के लिए माननीय विधायकों का विषय विशेषज्ञों के साथ नियमित एवं निरंतर संवाद होना चाहिए, इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई जाना चाहिए।

9. विधायिका की महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी समितियों को ज्यादा प्रभावी एवं परिणाममूलक कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार होना चाहिए।

10. विधानसभा की कार्यवाही का छोटे गांव शहरों के बच्चे भी कैसे अवलोकन कर सके, चाहे एक बार ही सही, लेकिन इसके लिए भी कोई व्यवस्था होना चाहिए।

❖❖❖

ISBN 9789381408339

अमिताभ पाण्डेय

अमिताभ पाण्डेय भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सामाजिक मुद्दों पर वह पिछले 2 दशकों से लगातार लेखन कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, पर्यावरण और राजनीतिक विषयों पर उनकी खास पकड़ है। 2007 में उन्हें विकास संवाद की मीडिया शोध एवं लेखन फैलोशिप के लिए चुना गया था। इसके जरिए उन्होंने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर काम किया। इसके बाद से ही उन्होंने बाल अधिकार और बच्चों की स्थितियों को अपनी लेखनी के जरिए लगातार उठाया। भोपाल के विभिन्न समाचार पत्रों में रहते हुए उन्होंने लंबे समय से विधानसभा के सत्रों को कवर किया है। राजगढ़ जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आपने एक किताब भी लिखी है।

सामाजिक सरोकारों पर लेखन के लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाने वाला यशवन्त अरगरे सम्मान महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश के हाथों दिया गया।

सम्पर्क : 9424466269
amitabhpandey1970@gmail.com

VIKAS SAMVAD